

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 3(13)गृह-1/2015


जयपुर, दिनांक :- 06.01.2018

आज्ञा

श्री बी0बी0 अरोडा (सेवानिवृत्त निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) को निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज0 जयपुर के पद पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.12.2015 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1996) के नियम-151 के अन्तर्गत 2 वर्ष के लिए पे-माईनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त किया गया था, जिसकी निरन्तरता में श्री अरोडा की निदेशक पद पर छः माह या उक्त पद के लिए नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, अभिवृद्धि की जाती हैं।

यह आज्ञा मा0 मुख्यमंत्री महोदया की सहमति से आई0डी0 संख्या एफ18000056 दिनांक 06.01.2018 के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

आज्ञा से,

  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राज0 जयपुर को उनकी आईडी संख्या एफ18000056 दिनांक 06.01.2018 के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 गृह मंत्री महोदय राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राज0 जयपुर।
7. श्री बी0बी0 अरोडा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज0 जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

||

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस